

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 29, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 3-18-2019-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13 नवम्बर 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में वन विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—“एक”

(1) वन विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बूटासिंह इवने, उपसचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : वन विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	वन क्षेत्रपाल	796	796	0	0	0	0	0	0	कार्य की प्रकृति दुर्गम और विषम क्षेत्र की होने से शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए पद चिन्हांकन से छूट प्रदान की गई है
तृतीय	वन रक्षक	14024	14024	0	0	0	0	0	0	कार्य की प्रकृति दुर्गम और विषम क्षेत्र की होने से शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए पद चिन्हांकन से छूट प्रदान की गई है